फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस – त्रिशुल, समर्थेश्वर मंदिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई – 400025, ब्रांच ऑफिस जी – 9 महिमा, ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान

– प्रार्थी

बनाम

1. सुभाष चन्द्र तुलसीराम पण्डिया निवासी 47 – अकोदडा, ब्राहनावास दुसारा वास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   अन्य पता – 80/ई मुलजी मिस्त्री बिल्डिग, तेजपाल रोड, पारले जी के पास विलेपारले (ईस्ट) मुम्बई

   – – – ऋणी

2. भगवती पत्नी तुलसीराम निवासी अकोदडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

   – – – सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 89/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.02.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 23.11.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण अनुबंध संख्या 919030026149323 के द्वारा 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपये) रूपये का ऋण दिनांक 27.03.2019 को लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – (1) ऋण की सुविधा के एवज ऋणी/सहऋणी द्वारा एक सम्पत्ति पट्टा संख्या 24/122 बुक नं.03 मिसल नं. 119 ग्राम आकोदड़ा ग्राम पंचायत पाखण्ड प. स. खमनोर राजसमन्द क्षेत्रफल 1298.40 वर्गफीट को बंधक रखा था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 01.07.2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक के अप्रार्थी से उक्त ऋण खाता संख्या 919030026149323 में मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 22.12.2021 तक 16,18,680 (सोलह	B

न्यायालय जिला कलक्टर

लाख अठारह हजार छः सौ अस्सी रू/–) शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 22.12.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 29.12.2021 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति ऋणी श्री सुभाष चंद्र पण्डिया द्वारा पट्टा संख्या 24/122 बुक नं. 03 मिसल नं. 119 ग्राम आकोदड़ा ग्राम पंचायत पाखण्ड प. स. खमनोर राजसमन्द क्षेत्रफल 1298.40 वर्गफीट रहन रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

(1) पूर्व में :– खेमराज/रतनलाल जी का मकान
(2) पश्चिम में :– आम रास्ता
(3) उत्तर में :– रामदेव जी का मन्दिर
(4) दक्षिण में :– श्री किशनलाल/रणछोड का मकान

प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 22.12.202 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई। उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण 22.12.2021 द्वारा पट्टा संख्या 24/122 बुक नं. 03 मिसल नं. 119 ग्राम आकोदड़ा ग्राम पंचायत पाखण्ड प. स. खमनोर राजसमन्द क्षेत्रफल 1298.40 वर्गफीट है। सीमाएँ – पूर्व में श्री खेमराज/रतनलाल जी का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रामदेव जी का मन्दिर, दक्षिण में श्री किशनलाल/रणछोड़ का मकान। ।

न्यायालय जिला कलक्टर

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Bulla

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)